

No. AN/TA/DA/LTC/Gen Corr.

Dated 19.03.2018

परिपत्र

सेवा में,

सभी अनुभाग
सभी अधिनस्थ कार्यालय

विषय : यात्रा भत्ता दावों के समय से प्रस्तुत करने के संबंध में ।

94

मुख्य कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.01.2018 के द्वारा GFR Rule 290 एवम् Rule 292 के प्रावधानों को circulate किया गया था। जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे यात्रा भत्ता तथा अवकाश रियायत यात्रा (LTC) दावे जो देय तिथि के पश्चात् इस कार्यालय में प्राप्त होंगे, उन्हें जब्त कर लिया जायेगा। अब इस संबंध में Ministry of Finance, Department of Expenditure के OM No. 19030/1/2017-E.IV दिं 13.03.2018 की प्रति भी आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

साथ ही, इस कार्यालय में प्राप्त दावों को देखने में आया है कि यात्रा भत्ता दावे कार्यालय आदेश भाग-II के प्रकाशन में हो रही देरी के कारण इस अनुभाग में देय तिथि के पश्चात् प्राप्त हो रहे हैं। चूंकि यात्रा भत्ता दावे, कार्यालय आदेश भाग-II के प्रकाशन के पश्चात् ही लेखा परीक्षण में शामिल किये जाते हैं और इस तरह के कार्यालय आदेश भाग-II का प्रकाशन, मुख्य कार्यालय के प्रशासन-1 एवं प्रशासन -2 अनुभाग द्वारा किया जाता है।

अतः इस संबंध में यह निर्देश दिया जाता है कि सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी Tour/Transfer/Training/Journey on Retirement के दौरान की गई यात्रा की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् कार्यालय आदेश भाग-II के प्रकाशन के लिए अपना Duty Completion Certificate एवम् यात्रा भत्ता दावा पूर्णरूप से भरकर एक साथ संलग्न करके यात्रा भत्ता अनुभाग को डाक के द्वारा प्रेषित करें।

यह एक बार फिर से दोहराया जाता है कि ऐसे यात्रा भत्ता (TA/DA) एवं अवकाश रियायत यात्रा (LTC) दावे जोकि GFR के नियमानुसार, यात्रा समाप्ति के देय तिथि के पश्चात् इस कार्यालय में प्राप्त होंगे उन्हें GFR के उपरोक्त नियमानुसार जब्त कर लिया जायेगा, जिसके पश्चात् इस संबंध में कोई प्रतिवेदन भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।


कृपया सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों से नोट कराये एवं पावती प्रेषित करें।



सहायक रक्षा लेखा नियंत्रक

प्रतिलिपि :
EDP
(स्थानीय)

: कृपया रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंसंस) की बेवसाइट पर Uplodaing के निवेदन के साथ।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी



रक्षा लेखा विभाग Defence Accounts Department
रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन संवितरण)
Controller of Defence Accounts(Pension Disbursement)
बेल्देडियर कॉम्प्लेक्स, मेरठ कान्ठ 250001-
Belvedere Complex, Meerut Cantt-250001
फोन नं .0121-2645889 फैक्स नं .0121-2645178



No. AN/TA/DA/LTC/Gen Corr.

Dated 04.04.2018

परिपत्र

सेवा में,

सभी अनुभाग
सभी अधिनस्थ कार्यालय

विषय : यात्रा भत्ता दावों के समय से प्रस्तुत करने के संबंध में ।

मुख्य कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.03.2018 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि अधिनस्थ कार्यालयों से प्राप्त हो रहे यात्रा भत्ता दावों में **Duty Completion Certificate** के साथ प्राधिकार पत्र (**Authority letter**) संलग्न नहीं किया जा रहा है। अतः इस संबंध में यह निर्देश दिया जाता है कि सभी कार्यालय प्रभारी यात्रा भत्ता दावों को मुख्य कार्यालय में भुगतान के लिए प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि यात्रा भत्ता दावों में समस्त आवश्यक कागजात एवम् **Duty Completion Certificate** के साथ-साथ प्राधिकार पत्र (**Authority letter**) अवश्य संलग्न हों।

साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि यात्रा भत्ता दावा को निम्न प्रकार से दो अलग-अलग **Batches** में बनायें तथा दोनों **Batches** पर स्पष्ट रूप से **Batch 'A'** एवम् **Batch 'B'** mark करके दोनों **Batches** को एक ही प्रेषित पत्र के द्वारा मुख्य कार्यालय के यात्रा भत्ता अनुभाग को प्रेषित करें :-

Batch 'A' :- यात्रा भत्ता दावा एवं संबंधित दस्तावेज

Batch 'B' :- **Duty Completion Certificate** एवं प्राधिकार पत्र

कृपया सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों से नोट करायें एवं पावती प्रेषित करें।

सहायक रक्षा लेखा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-
✓ EDP
(स्थानीय)

: कृपया रक्षा लेखा नियंत्रक (पें0सं0) की बेवसाइट पर **Uplodaing** के निवेदन के साथ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी